**दिनांक—11.07.2013 को जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में सम्पन्न अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :—**

<u>उपस्थिति</u> :— अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारी गण उपस्थिति हुए :—

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।

सर्व प्रथम अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी कुल—04 (चार) मामलों पर सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक—3220 दिनांक—03.12.2005, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक—601 दिनांक—15.02.2007 एवं विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक—5738 दिनांक—23.06.2011 तथा विभागीय पत्रांक—1023 दिनांक—16.02.2012 में वर्णित प्रावधान/निदेश के आलोक में प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया।

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक—5738 दिनांक—23.06.2011 द्वारा प्राप्त सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका—04 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 55 (पचपन) वर्ष की आयु के भीतर होने पर ही उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी। विभागीय पत्रांक—1023 दिनांक—16.02.2012 के आलोक में उक्त प्रावधान दिनांक—23.06.2011 के पूर्व के मृत्यु के मामलों में प्रभावी नहीं होगा यानि 55 (पचपन) वर्ष की आयु संबंधी बंधेज लागू नहीं होगा। तदनुसार निम्न मृत अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई।

| क्र0 | आवेदक का नाम | मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या | आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध | विक्रेता के मृत्यु की तिथि | आवेदक द्वारा आवेदन दायर करने की तिथि | अनुशंसा वर्ग/अनुमंडल का नाम | समित का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्री राजेश कुमार चौधरी | स्व0 गणेश प्रसाद चौधरी,सा0 बेटवन बाजार अड़गरा रोड, मुंगेर। अनु0सं0–01/2008 | पुत्र | 01.08.2012 | 22.03.2013 | ज0वि0प्र0 विक्रेता सदर मुंगेर, अनुमंडल | अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई। |
| 2 | श्रीमती निर्मला देवी | स्व0 महेश मंडल, सा0–मुंगरौड़ा,वार्ड नं0–5, जमालपुर, मुंगेर। अनु0सं0–12/2008 | पत्नी | 09.11.2012 | 24.04.2013 | तथैव | तथैव |
| 3 | श्री सरोज कुमार | स्व0 मुनेश्वर मंडल, सा0– गोकुलचक, पंचायत–धौरी , प्रखण्ड–टेटियाबम्बर, मुंगेर। अनु0सं0–01/2008 | पुत्र | 14.11.2012 | 05.01.2013 | ज0वि0प्र0 विक्रेता खड़गपुर, अनुमंडल | अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा इस शर्त पर कि गई कि अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा अनुमंडल पदाधिकारी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व वंशावली में अंकित मृत अनुज्ञप्तिधारी के दो पुत्र यथा महामन्यु प्रसाद एवं टिवंकल कुमार से आवेदक को अनुज्ञप्ति देने के संबंध में अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें। |

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि आवेदक द्वारा समर्पित सभी कागजात बैध है तथा की जानेवाली नियुक्ति अधतन प्राप्त अधिसूचना/गजट/निदेश के शर्त्तो के अधीन है।

चयनित आवेदक को इस आशय का चरित्र प्रमाण–प्रत्र/कार्यपालक दण्डाधिकारी का शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि अनके विरूद्ध किसी न्यायलय में कोई अपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है, जिसमें उन्हें सजा मिलने की आशंका हो। नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संदर्भ में यह स्पष्ट रहेगा कि उनके द्वारा समर्पित कागजात गलत पाये जाने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति रदद की जा सकती है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर देगें कि ऐसी नियुक्तियों में जो भी सरकारी निर्देश है, उनका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति को रदद कर दिया जायेगा।

(2) निम्नांकित आवेदन पत्र/अभिलेख के जाँच के क्रम में कुछ अपेक्षित कागजात/प्रतिवेदन की कमी/त्रुटि पायी गयी, जिसमें समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया।

| क्र0 | आवेदक का नाम | मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या | आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध | विक्रेता के मृत्यु की तिथि | आवेदक द्वारा आवेदन दायर कारने की तिथि | समिति का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री तरूण मांझी | स्व0 बटेश्वर मांझी, सा0–सरौना, पो0–दुरमट्टा, प्रखण्ड–संग्रामपुर, मुंगेर अनु0सं0–05/08 | पुत्र | 19.02.2010 | 05.04.2011<br>29.08.2012 | अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर द्वारा प्रेषित अभिलेख के साथ संलग्न पारिवारिक सदस्यता प्रमाण–पत्र सं0–33 दिनांक–04.07.2013 में अंकित मृत अनुज्ञप्तिधारी के दूसरी पत्नी कोयली देवी का आवेदक को अनुज्ञप्ति देने के संदर्भ में अनापत्ति का शपथ–पत्र नहीं है।<br>अतः समिति द्वारा निर्णय लियागया कि वाँछित शपथ–पत्र के साथ अगले चयन समिति की बैठक में निर्णय हेतु भेजें। |

उपरोक्त सभी प्राप्त आवेदन/अभिलेख संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस करने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- 16/7/13

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 536/जि0आ0, दिनांक 17/07/2013

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 16/7/13

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 536/जि0आ0, दिनांक 17/07/2013

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 16/7/13

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।